न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 251/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 सगताराम 2 अर्जुनराम 3 भींयाराम पिसरान देदाराम जाति जाट निवासी कनोड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।		1 नरसिंगाराम पुत्र शंकराराम 2 मु. पपू पत्नी शंकराराम 3 दीपाराम पुत्र तुलछाराम फौत के कायम मुकाम 3/1 महेन्द्र 3/2 वीरमाराम 3/3 जेताराम पिसरान दीपाराम 3/4 मूलीदेवी पत्नी दीपाराम 4 गेहराराम 5 दानाराम 6 नखताराम 7 नवाराम पिसरान रूपाराम 8 मु इन्द्रा पत्नी रूपाराम जाति राईका निवासी कनोड़ा तहसील व जिला बाड़मेर 9 तहसीलदार बाड़मेर 10 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बिशाला।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :—

1. श्री नृसिंह सोलंकी, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री राजेश विश्नोई, वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 08।

आदेश

दिनांक 11.07.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एंव कब्जाकाश्त के खेत मौजा कनोड़ा पटवार हल्का सुरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 269/58 रकबा 1.4731 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444/58 रकबा 0.7446 हैक्टेयर व खसरा संख्या 329/68 रकबा 1.8373 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 08 के खेत मौजा कनोड़ा पटवार हल्का सुरा तहसील व जिला बाड़मेर क खसरा संख्या 541/66 व 546/66 में से चल रहें सरकारी रास्ते तक जाने के लिए एक मात्र रास्ता है । इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने—जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 08 की भूमि में से आने—जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता घोषित किया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेत से आम रास्ते पर जाने वाले सड़क मार्ग पर आसानी पूर्वक प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के खेत के आगे चल रहे सरकारी मार्ग पर आवागमन हेतू पहुंच सकें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 06 से 08 के अधिवक्ता उपस्थित शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 08 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 269/58, 444/58, 329/68 की भूमि में से अप्रार्थी संख्या 01 से 08 के खेत खसरा संख्या 541/66 व 546/66 में से रास्ता चाहा गया है जबकि मौके पर कोई रास्ता नही चल रहा है न ही मौके पर प्रस्तावित रास्ता खाली है। प्रार्थीगण द्वारा झूठ के आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया है मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण के पास अन्य खेत से आने—जाने हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध है परन्तु प्रार्थीगण केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से रास्त हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जो विधि विरूद्ध है तथा धारा 251—ए के प्रावधानों के प्रतिकूल है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावें। तहसीलदार बाड़मेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.07.22 14:03:50 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक राजस्व/2024/132 दिनांक 14.02.2025 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया तथा प्रार्थीगण को अपने खेत मौजा कनोड़ा पटवार हल्का सुरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 269/58 रकबा 1.4731 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444/58 रकबा 0.7446 हैक्टेयर व खसरा संख्या 329/68 रकबा 1.8373 हैक्टेयर भूमि तक पहुंचने हेतु मौका मुआयना किया गया। ग्राम रामदेव नगर (पूर्व कनोड़ा) के खसरा संख्या 269/58 व 444/58 की भूमि से सड़क तक आने जाने के लिए रेकर्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार ग्रेवेल मार्ग का रास्ता उपलब्ध है, जिसे बरंग लाल से दर्शाया गया है, प्रार्थीगण को उक्त दोनो खसरों में जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता नही है। खसरा संख्या 329/68 की भूमि से सड़क तक आने जाने के लिए न्यूनतम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 541/66 व 445/68 में से बरंग हरा प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है न ही किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन एवं स्थगन है। उक्त प्रस्तावित रास्ता सीधा सड़क मार्ग से जुड़ता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में पशुओं को चराने हेतु की गई अस्थाई बाड़ अवरोधक है, जिसे हटाया जाना उचित होगा। उक्त प्रस्तावित रास्ते की दूरी अन्य विकल्प से कम होने से व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही होने के कारण प्रस्तावित किया जाना उचित है। खसरा संख्या 329/68 से डामर सड़क तक जाने के लिए खसरा संख्या 440/68 व 331/68 में से एक अन्य विकल्प है जिसे बरंग पीला दर्शाया गया है, जिसकी दूरी मौके एव रेकर्ड अनुसार अधिक है तथा खसरा संख्या 331/68 की सीमा पर बनी ढाणी अवरोधक है तथा खसरा संख्या 329/68 की भूमि रेकर्ड में अंकित तरमीम एवं मौके के कब्जा काश्त में अंतर है। तरमीम अक्ष के अनुसार सही रकबा बरारी करने पर कब्जा काश्त के अनुरूप तरमीम दुरूस्त करने के बाद की स्थिति अनुसार इस विकल्प की दूरी अधिक बनती है। मौजा रामदेव नगर पटवार हल्का सुरा तहसील व जिला बाडमेर क खसरा संख्या 541/66 व 445/68 से डामर सड़क तक रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि की गणना की जाकर राशि का अंकन निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया गया हैं।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई (फीट में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर की दुगनी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नरसिंगा पुत्र शंकरा हिस्सा 1/2 जाति रबारी पपू पत्नी शंकरा हिस्सा 1/2 जाति रबारी	541/66	3.9416	692 X 13	0.0890	99696/—
2	मोटाराम पुत्र रासिंगाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट रूपोदेवी पत्नी मालाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट	445/68	0.9146	40 X 13	0.0081	9008/—

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि तहसील[illegible]मेर द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे स्वीकार है तथा प्रार्थीगण को [illegible] खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.07.22 14:03:50 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 08 ने बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है प्रार्थीगण केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। मौका रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर उपस्थिति होकर नही बनाई

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

है न ही अप्रार्थीगण को नोटिस दिये गये। मौका फर्द व नक्शा में बरंग काला प्रस्तावित रास्ते की जगह अप्रार्थीगण की रहवासी ढाणीया आई हुई है। प्रार्थीगण को अपने खसरा संख्या 329/68 में आने जाने हेतु निकटतम रास्ता दूसरी तरफ उपलब्ध है जो हल्का पटवारी द्वारा बरंग पीला के रूप में खसरा संख्या 331/68 में दर्शाया गया है, जो सबसे निकटतम रास्ता है तथा उस रास्ते पर किसी प्रकार की ढाणी बनी हुई नही है। तहसीलदार बाड़मेर से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपति पर बहस करते हुए निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट दिनांक 18.02.2025 को प्राप्त हुई है मौका रिपोर्ट दोनों पक्षों की उपस्थिति में व पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुए बनवाई गई है। अप्रार्थीगण को मौके पर बुलाया गया था परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थिति नही हुए इस कारण गांव के मौजीज व्यक्तियों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने पर ही प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध हो सकेगा अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से मौका रिपोर्ट बनाते समय उपस्थित नही हुए ताकि उक्त आवेदन का निरस्तार नही हो तथा प्रार्थीगण को मौके पर रास्ता उपलब्ध नही हो सके। प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार की ढाणी नही है तथा न ही अतिक्रमण है। खसरा संख्या 329/68 से डामर सड़क तक जाने के लिए खसरा संख्या 440/68 व 330/68 में से अन्य विकल्प है जिसे बरंग पीला से दशित किया गया है, जिसकी दूरी मौके व रेकर्ड के अनुसार अधिक है व खसर संख्या 331/68 की सीमा पर बनी ढाणी अवरोध है तथा खसरा संख्या 329/68 की भूमि की रेकर्ड में अंकित तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त में अन्तर है। लिहाजा अप्रार्थीगण की प्रस्तुत आपति खारिज किया जाकर प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध करवाने का आदेश फरमावें।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से यह आवेदन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण को यदि रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण को राशि के बदले अप्रार्थीगण को भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि दी जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शे का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा संख्या 329/68 की भूमि से सड़क तक आने जाने के लिए न्यूनतम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 541/66 व 445/68 में से बरंग हरा प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ता मौके पर खाली है इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है न ही किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन एवं स्थगन है। उक्त प्रस्तावित रास्ता सीधा सड़क मार्ग से जुड़ता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में पशुओं को चराने हेतु की गई अस्थाई बाड़ जिसको हटाया जाना उचित होगा। उक्त प्रस्तावित रास्ते की दूरी अन्य विकल्प से कम होने से व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही होने के कारण प्रस्तावित किया जाना उचित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251—क के तहत "प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.07.22 14:03:50 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है" जो तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन पत्र तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा आपति प्रस्तुत की गई है कि अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि की राशि के बदले अप्रार्थीगण को भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि दी जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरांत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा कनोड़ा पटवार हल्का सुरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 269/58 रकबा 1.4731 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444/58 रकबा 0.7446 हैक्टेयर व खसरा संख्या 329/68 रकबा 1.8373 हैक्टेयर भूमि में पहुंचने हेतु निम्नानुसार रास्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :—

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई (फीट में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	खातेदारान को प्रस्तावित मार्ग के बदले क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण की भूमि (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	नरसिंगा पुत्र शंकरा हिस्सा 1/2 जाति रबारी पपू पत्नी शंकरा हिस्सा 1/2 जाति रबारी	541/66	3.9416	692 X 13	0.0890	0.0890
2	मोटाराम पुत्र रासिंगाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट रूपोदेवी पत्नी मालाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट	445/68	0.9146	40 X 13	0.0081	0.0081

तहसीलदार बाडमेर को उक्त प्रस्तावित मार्ग अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से नरसिंगा पुत्र शंकरा हिस्सा 1/2 जाति रबारी पपू पत्नी शंकरा हिस्सा 1/2 जाति रबारी को रकबा 0.0890 हैक्टेयर व मोटाराम पुत्र रासिंगाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट रूपोदेवी पत्नी मालाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट को रकबा 0.0081 भूमि प्रार्थीगण की भूमि में से खातेदारान को रकबा अनुसार भूमि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि उक्त खातेदारान के नाम क्षतिपूर्ति भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.07.22 14:03:50 IST
Reason: Self Attested

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 11.07.2025 को सर इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर